[redacted]

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(दण्ड प्रकिया सहिता धारा 154 के अन्तर्गत)

1. जिला भ्र.नि.ब्यूरो, बांसवाडा थाना सी.पी.एस. ए.सी.बी. जयपुर वर्ष, 2022
   प्र.इ.रि.स.. ....81/2022 दिनांक 9/3/2022

2. (i) अधिनियम पीसी एक्ट 1988 धारायें – धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम, 2018
   (ii) अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता –
   (iii) अधिनियम – धारायें –
   (iv) अन्य अधिनियम एवं धारायें –

3. (अ) रोमनामचा आम रपट संख्या ....184........ समय..............6:15 P.M.
   (ब) अपराध के घटने का दिन व समय : मंगलवार दिनांक 08.03.2022 समय 10.50 एएम
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक : 07.03.2022

4. सूचना की किस्म : लिखित/मौखिक : लिखित

5. घटना स्थल :
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दुरी : दक्षिण दिशा दुरी लगभग 540 किलो मीटर
   (ब) पता : पुलिस थाना कोतवाली के पास गली में बांसवाडा
   ....बीट संख्या ....जरायमदेही संख्या.......... ....
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
   पुलिस थाना सी0पी0एस0 जयपुर जिला चौकी भ्रनिब्यूरो,बांसवाडा

6. परिवादी/सूचनाकर्ता :
   (अ) नाम : – श्री तोहीद खॉ
   (ब) पत्नी – श्री जफर खॉ
   (स) जन्म तिथि/वर्ष – वस्यक
   (द) राष्ट्रीयता : – भारतीय
   (य) पासपोर्ट संख्या .... –........................ जारी होने की तिथि....................................
   जारी होने की जगह......... –..
   (र) व्यवसाय – प्राईवेट व्यवसाय
   (छ) पता – निवासी राजतालाब हुसैनी चौक मंडिया बांसवाडा

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित : श्री जगपालसिंह पुत्र स्व. श्री चन्द्रवीरसिंह चौहान जाति राजपुत उम्र 30 वर्ष निवासी गांव अमरसिंह का गडा, थाना मोटागांव जिला बांसवाडा हाल कानि–18 पुलिस चौकी राजतलाब, थाना कोतवाली जिला बांसवाडा

8. शिकायत/सूचना देने वाले द्वारा सूचना देरी में का कारण : कोई विलम्ब नहीं

9. चुराई हुई/संलप्ति सम्पति का विवरण (अगर आवश्यक हो तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)

10. चुराई हुई सम्पति का कुल मूल्य : – 8000/– रूपये

11. मर्ग सूचना/अप्राकृति मृत्यु केस नंबर यदि कोई हो तो :–

12. प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषय वस्तु (मजमून)– आरोपी श्री जगपालसिंह कानि–18 पुलिस चौकी राजतलाब, थाना कोतवाली जिला बांसवाडा द्वारा परिवादी श्री तोहीद खॉ उर्फ राजा के विरूद्व पुलिस चौकी राजतलाब थाना कोतवाली जिला बांसवाडा में दर्ज परिवाद में कार्यवाही नहीं करने के एवज में 10000 रूपये रिश्वत की मांग करना तथा दिनांक 07.03.2022 को रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान परिवादी के हाथा–जोडी करने पर 8000 रूपये रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई होने पर दिनांक 08.03.2022 को आरोपी श्री जगपालसिंह कानि0 को परिवादी श्री तोहीद खॉ से रिश्वत राशि 8 हजार रूपये लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया हैं। आरोपी श्री जगपालसिंह कानि–18 पुलिस चौकी राजतलाब, थाना कोतवाली जिला बांसवाडा के विरूद्व जुर्म अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) एक्ट, 2018 का अपराध प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित है।

सेवामें,

श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,
भ्र0नि0ब्यूरों, बांसवाडा।

विशयः– रिश्वत् मांग पर कार्यवाही कराने हेतु।

निवेदन मुझ प्रार्थी श्री तोहीद खॉ पुत्र श्री जफर खॉ जी जाति मुसलमान निवासी राजतालाब हसैन चौक मंडिया बांसवाडा का हैं कि मेरे विरूद्ध अंजुम पत्नी समीर निवासी इन्द्रा कोलोनी बांसवाडा ने 05.03.22 को एक रिपोर्ट पुलिस में दी हैं। जिसकी जांच श्री जगपाल सिंह चौहान कानि. चौकी राजतालाब थाना बांसवाडा द्वारा की जा रही हैं। आज सुबह जगपाल सिंह ने मुझे चौकी राजतालाब पर बुलाया तथा मुझे छेडछाड के केस में फसाने की धमकी दी। मैने हाथाजोडी की तो जगपाल सिंह ने 15000 रूपये कार्यवाही खतम करने के लिए मेरे से मांगे मैने फिर उनसे रिक्वेष्ट की तो उसने 10,000 रूपये से कम नहीं होगा बताया। जगपाल सिंह मेरे को अंजुम की रिपोर्ट पर छेडछाड के मामले में फसाने की धमकी देकर 10,000 रूपये की मांग कर रहा हैं। मैं जगपाल सिंह को रिश्वत् में 10,000 रूपये नहीं देना चाहता हूँ तथा जगपाल सिंह को रिश्वत् लेते पकडवाना चाहता हूँ। मेरी जगपाल सिंह से कोई रंजीश नहीं हैं तथा नहीं उससे कोई लेनदेन बकाया हैं। जगपाल सिंह बहुत शातीर हैं तथा हर मामले में भारी रिश्वत् लेता हैं। इसने तीन–चार माह पहले भी मारपीठ के मामले में नाबालिंग बच्चों के मामूली झगडे में 5,000 रूपये रिश्वत् मेरे परिवार से ली, अब में जगपाल सिंह को रिश्वत् नहीं देना चाहता हॅं। रिपोर्ट करता हूँ। कार्यवाही करावें।
दिनांकः 07.03.2022

प्रार्थी,
सही/–
(तोहीद खॉ पुत्र श्री जफर खॉ जी)
निवासी राजतालाब हसैन चौक मंडिया,
जिला बांसवाडा
मो. नं.–8504931021

कार्यवाही पुलिस, ब्यूरो इकाई, बांसवाडा

दिनांकः 07.03.2022 समय : 05.15 पीएम

इस समय परिवादी श्री तोहीद खॉ उर्फ राजा पुत्र श्री जफर खॉ जी जाति मुसलमान निवासी राजतालाब हसैन चौक मंडिया बांसवाडा ने कार्यालय में उपस्थित हो मेरे समक्ष एक स्वयं की हस्तलिखित रिपोर्ट वास्ते कार्यवाही पेश की। मजिद दरियाफ्त पर अपनी रिपोर्ट में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए बताया कि मेरे विरूद्ध अंजुम पत्नी समीर निवासी इन्द्रा कोलोनी बांसवाडा ने 05.03.22 को एक रिपोर्ट पुलिस में दी हैं। जिसकी जांच श्री जगपाल सिंह चौहान कानि. चौकी राजतालाब थाना बांसवाडा द्वारा की जा रही हैं। आज सुबह जगपाल सिंह ने मुझे चौकी राजतालाब पर बुलाया तथा मुझे छेडछाड के केस में फसाने की धमकी दी। मैने हाथाजोडी की तो जगपाल सिंह ने 15000 रूपये कार्यवाही खतम करने के लिए मेरे से मांगे मैने फिर उनसे रिक्वेष्ट की तो उसने 10,000 रूपये से कम नहीं होगा बताया। जगपाल सिंह मेरे को अंजुम की रिपोर्ट पर छेडछाड के मामले में फसाने की धमकी देकर 10,000 रूपये की मांग कर रहा हैं। मैं जगपाल सिंह को रिश्वत् में 10,000 रूपये नहीं देना चाहता हूँ तथा जगपाल सिंह को रिश्वत् लेते पकडवाना चाहता हूँ। जगपाल सिंह बहुत शातीर हैं तथा हर मामले में भारी रिश्वत् लेता हैं। इसने तीन–चार माह पहले भी मारपीठ के मामले में नाबालिंग बच्चों के मामूली झगडे में 5,000 रूपये रिश्वत् मेरे परिवार से ली, अब में जगपाल सिंह को रिश्वत् नहीं देना चाहता हॅं। यह रि वत वह स्वयं अपने लिये मांग रहा हैं। जगपाल सिंह से मेरी कोई रंजीश नहीं हैं तथा न ही उससे मेरा कोई लेनदेन बकाया हैं। मजमून रिपोर्ट व मजिद दरियाफ्त पर परिवादी श्री तोहीद खॉ को पुनः पढकर सुनाई तो श्री तोहद खॉ ने सही होना स्वीकार किया। मजमून रिपोर्ट व मजिद दरियाफ्त से मामला रि वत मांग का पाया जाने से रि वत मांग का सत्यापन कराना आव यक हैं, अतः मांग सत्यापन की कार्यवाही की जावेगी। समय 05.50 पीएम पर कार्यालय के अलमारी में रखा वॉयस रिकॉर्डर मंगवा कर कानि0 श्री माजिद खॉ नं0 241 को कार्यालय कक्ष में बुलाकर परिवादी श्री तोहीद खॉ से कानि0 माजिद खॉ का परिचय करवाया। श्री तोहीद खॉ को वॉयस रिकॉर्डर के संचालन की विधि समझाई गयी। परिवादी ने बताया कि जगपाल सिंह बहुत शातीर हैं तथा वह चौकी के बाहर आकर भी देखेगा इसलिए माजिद खॉ को मेरे साथ अन्य साधन से भेजे। समय 05.58 पीएम पर कानि0 श्री माजिद खॉ को वॉयस रिकॉर्डर सुपुर्द किया तथा माजिद खॉ को अपनी निजी मोटरसाईकिल से व परिवादी श्री तोहीद खॉ को अपने निजी वाहन से चौकी राजतालाब, पुलिस थाना बांसवाडा हेतु रवाना किया। समय 06.25 पीएम पर श्री माजिद खॉ कानि0 एवं परिवादी श्री तोहीद खॉ मय डिजिटल टेप रिकोर्डर के ब्यूरो इकाई, बांसवाडा हाजिर आये और मन् अति. पुलिस अधीक्षक को श्री माजिद खॉ कानि0 ने बताया कि कार्यालय से रवाना हो चौकी राजतालाब के पास पहूंचा तथा परिवादी श्री तोहीद खॉ भी अपने वाहन से वहॉ पहुंचा तब मैने परिवादी को वॉईस रिकार्डर ऑन कर सुपुर्द कर मुनासिब हिदायत देकर आरोपी के पास चौकी राजतालाब रवाना किया। मन् कानि0 पुलिस चौकी के आस–पास अपनी उपस्थित छुपाकर मुकिम रहा। कुछ देर बाद समय करीब 6.10 पीएम पर परिवादी श्री तोहीद खॉ चौकी से बाहर आकर अपने वाहन में बैठकर रवाना हुआ व मुझे पिछे–पिछे आने का ईशारा किया जिस पर

मैं अपनी बाईक से पिछे–पिछे चला तथा एसपी चौराया के पास पहुंच परिवादी ने अपना वाहन रोककर उतरकर डिजिटल टेप रिकोर्डर बन्द कर मन् कानि0 को देकर बताया कि जगपाल सिंह कानि. से चौकी परिसर में वार्तालाप हो गई तथा उसने 8,000 रूपये रिश्वत् की मांग की हैं और रूपये लेकर दिनांक 08.03. 2022 को बुलाया हैं। उक्त वार्ता को परिवादी श्री तोहीद खॉ ने टेप रिकोर्डर में रिकोर्ड करना बताया हैं। परिवादी के साथ वाहन में एक अन्य व्यक्ति भी था जिसे परिवादी ने अपना परिचित बताकर रास्ते से बैठाना बताया तथा परिवादी ने बताया कि कानि. जगपाल सिंह उसके पिछे–पिछे चौकी के बाहर तक देखने आया था इसलिए वह वहॉ से अपने वाहन से रवाना हुआ था। उक्त तथ्यों की ताईद परिवादी तोहीद खॉ ने भी की। परिवादी तोहीद खॉ को रिश्वत् राशि की व्यवस्था कर दिनांक 08.03.2022 को प्रातः 8.30 एएम पर ब्यूरो इकाई, बांसवाडा पर उपस्थित होने मुनासिब हिदायत देकर रवाना किया गया। डिजिटल टेप रिकोर्डर को मन् अति0 पुलिस अधीक्षक द्वारा सुना गया आरोपी जगपाल सिंह कानि द्वारा रिश्वत् मांग की पुष्टि हुई। डिजिटल टेप रिकोर्डर को सुरक्षित मालखाने में रखवाया गया। आयन्दा परिवादी के उपस्थित आने पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। समय 07.26 पीएम पर प्रकरण में अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु नियमानुसार स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने से जरिये दुरभाष अति. जिला कलक्टर, बांसवाडा को दिनांक 08.03.2022 को प्रातः 8.30 एएम पर दो स्वतंत्र गवाहान ब्यूरों इकाई बांसवाडा भिजवाने हेतु निवेदन किया गया।

दिनांक 08.03.2022 समय 09.00 एएम पर परिवादी श्री तोहीद खॉ उर्फ राजा ब्यूरो इकाई बांसवाडा पर उपस्थित आया और मन् अति0 पुलिस अधीक्षक को बताया कि कल दिनांक 07.03.2022 को श्री राजपाल सिंह कानि. द्वारा दौराने मांग सत्यापन 8000/–रूपये रिश्वत् राशि की मांग की गई एवं आज दिनांक 08.03.2022 को देना तय हुआ। श्री राजपाल सिंह कानि. को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 8000/–रूपये की व्यवस्था कर साथ लेकर आया हूं। परिवादी को कार्यालय में सुरक्षित बैठाया गया। समय 09.30 एएम पर गवाहान श्री लोकेन्द्र सिंह पुत्र श्री ब्रहम्मदेव सिंह जाति राजपूत उम्र 48 वर्ष निवासी म.न. 327/11 हाउसिंग बोर्ड जिला बांसवाडा हाल व्याख्याता, राजकीय नूतन उच्च माध्यमिक विधालय, जिला बांसवाडा एवं श्री कमलेश कुमार मईडा पिता मानजी जाति मईडा निनामा उम्र 34 वर्ष निवासी गांव डाबरी पोस्ट शेरगढ तहसील गांगडतलाई, जिला बांसवाडा हाल वरिष्ठ अध्यापक राजकीय माध्यमिक विधालय नबीपुरा, जिला बांसवाडा कार्यालय में उपस्थित आये। जिन्हे कायवाही का मन्तव्य समझाकर ट्रेप कार्यवाही में मौतबिर रहने बाबत् पूछा तो दोनों गवाहान ने कार्यवाही में गवाह रहने हेतु अपनी मौखिक सहमति दी। परिवादी को तलब कर परिवादी व गवाहान का आपस में परिचय कराया तथा गवाहान के समक्ष परिवादी द्वारा पेश रिपोर्ट को परिवादी को पढकर सुनाया तो परिवादी ने रिपोर्ट अपनी स्वयं की लेखनी से लिखित होकर रिपोर्ट अक्षरशः सही होना बताया जिस पर परिवादी की रिपोर्ट पर गवाहान के हस्ताक्षर कराये गयें। दिनांक 07.02.2022 को परिवादी व आरोपी के मध्य हुई रिश्वत् मांग वार्ता को कम्प्यूटर की सहायता से गवाहान को सुनाया गया तो गवाहान ने भी रिश्वत् की मांग वार्ता में होने की पुष्टी की। चूँकि आरोपी ने परिवादी को 11 बजे तक रिश्वत् राशि लेकर बुलाया है। अतः मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट व सीडियॉ बनाने में समय लगेगा। अतः आईन्दा वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्शन व सीडीयॉ तैयार की जावेगी। समय 09.40 एएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री तोहीद खॉ उर्फ राजा से दोनो गवाहानों के समक्ष श्री जगपाल सिंह कानि. को रिश्वत् में दी जाने वाली राशि पेश करने को कहने परिवादी ने अपने पास से 500–500 रूपये के 16 नोट कुल 8000 रूपये करेन्सी नोट पेश किए। उपरोक्त समस्त नोटो के नम्बर निम्नानुसार हैं:–

1	500 रूपये का एक नोट नम्बर	1KW	388737
2	500 रूपये का एक नोट नम्बर	1DF	494722
3	500 रूपये का एक नोट नम्बर	4RA	719016
4	500 रूपये का एक नोट नम्बर	8BR	350477
5	500 रूपये का एक नोट नम्बर	5TD	579768
6	500 रूपये का एक नोट नम्बर	7UQ	071773
7	500 रूपये का एक नोट नम्बर	3VV	677734
8	500 रूपये का एक नोट नम्बर	3GL	770279
9	500 रूपये का एक नोट नम्बर	9GF	502697
10	500 रूपये का एक नोट नम्बर	8FD	763381
11	500 रूपये का एक नोट नम्बर	8UB	415748
12	500 रूपये का एक नोट नम्बर	0FP	326044
13	500 रूपये का एक नोट नम्बर	1MT	955719
14	500 रूपये का एक नोट नम्बर	7NS	204221
15	500 रूपये का एक नोट नम्बर	7AH	400738
16	500 रूपये का एक नोट नम्बर	0NE	427954

परिवादी द्वारा पेश किये गये समस्त नोटों पर मालखाने से फिनॉफ्थेलीन पाउडर की शीशी श्री जितेन्द्र सिंह झाला कानि. ड्राईवर से निकलवाई जाकर फिनॉफ्थेलीन पाउडर को उपरोक्त समस्त नोटों के दोनों और लगवाया जाकर रिश्वत् राशि परिवादी श्री तोहीद खॉ की पहनी हुई पेन्ट की बायी जैब में कोई वस्तु नहीं छोडते हुये जितेन्द्र सिंह से रखवाई गई। श्री माजिद खॉ कानि0 से एक साफ कॉच के गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया जाकर इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग नही बदला। इस रंगहीन घोल में श्री जितेन्द्र सिंह कानि. ड्राईवर की दोनों हाथों की अंगुलियों व अंगुठे को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र

गवाहान के समक्ष फिनॉफ्थेलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिकिया प्रदर्शित कर बताई एवं उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि आरोपी परिवादी से रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो नोटों पर लगा फिनॉफ्थेलीन पाउडर उसके हाथों की अंगुलियों व अंगुठे पर लग जाएगा तथा सोडियम कार्बोनेट के घोल में आरोपी के हाथ धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा, जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वती राशि मांगकर अपने हाथों से ग्रहण की हैं। उक्त गुलाबी घोल को श्री जितेन्द्र कानि. ड्राईवर से कार्यालय के बाहर फिकवाया गया तथा उपरोक्त कांच के गिलास को नस्ट किया। श्री माजिद खॉ कानि. एवं श्री जितेन्द्रसिंह कानि0 चालक के दोनों हाथ साफ पानी व साबुन से अच्छी तरह धुलवाये गये। तत्पश्चात् परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि वह आरोपी के द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर ही उसे देवे तथा रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद उससे हाथ नही मिलावे तथा न ही उसके शरीर के किसी अंग को छुए। यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोडकर अभिवादन करें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रदर्शन न करें, तथा रिश्वती राशि दे दिये जाने के बाद अपने सिर हाथ फैर कर या अपने मोबाईल नम्बर से मन् अति0 पुलिस अधीक्षक के मोबाईल नम्बर पर मिस कॉल करके आरोपी को रिश्वत राशि दिये जाने का ईशारा करें। यह निर्धारित इशारा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को समझाया गया। फिनोफथलीन पाउडर की शिशी को सुरक्षित मालखाने में रखा गया। ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाली कांच की शीशीयॉ, नये गिलास, ढक्कन, चम्मच इत्यादि को श्री माजिद खॉ से साफ पानी व साबुन से अच्छी तरह धुलवाये जाकर ट्रेप बाक्स में रखवाये गये। तत्पश्चात् गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों का आपस में परिचय करवाया तथा गवाहान व ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी-अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादी तथा आरोपी के मध्य रिश्वती राशि के लेन-देन को देखने व सुनने का प्रयास करें। परिवादी, स्वतंत्र गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथा साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। परिवादी को मन् अति. पुलिस अधीक्षक के नम्बर दिये गये। कानि. चालक श्री जितेन्द्र सिंह को आवश्यक हिदायत देकर कार्यालय में छोडा गया। समय 10.15 एएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री तोहीद खॉ को आरोपी श्री जगपाल सिंह कानि. को दी जाने वाली रिश्वत राशि लेन-देन वक्त होने वाली वार्ता को रिकोर्ड करने हेतु डिजीटल टेप रिकोर्डर उसके संचालन की विधि समझायी जाकर जरिये फर्द सुपूर्द किया गया। समय 10.20 एएम पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक, दोनों गवाहान श्री लोकेन्द्र सिंह, श्री कमलेश कुमार के गवाह श्री लोकेन्द्र सिंह के निजी वाहन से, माजिद खॉ कानि. को परिवादी के साथ परिवादी के वाहन से व कानि. महेश कुमार व स.प्र.अ. नारायण लाल को निजी मोटरसाईकिल से मय लेपटॉप, प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स हमरा लेकर ब्यूरो कार्यालय से राजतालाब चौकी को रवाना हुए। मन् अति. पुलिस अधीक्षक, परिवादी व कानि. माजिद खॉ के अलावा सभी के मोबाईलो को स्वीच ऑफ कर कार्यालय में ही रखवाये गये। समय 10.30 एएम पर मन् अति0 पुलिस अधीक्षक मय हमराहियानों के राजतालाब चौकी के पास पहुँचे। परिवादी श्री तोहीद खॉ को डिजिटल वॉईस रिकार्डर सुपुर्द कर पुनः डिजिटल टेप रिकॉर्डर संचालन की विधि समझाकर हिदायत की कि आरोपी से होने वाली रिश्वत् राशि लेनदेन वार्ता को ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकार्डर में रिकॉर्ड करे तथा परिवादी को पुनः निर्धारित ईशारा समझाकर आरोपी को उसकी मांग अनुसार रिश्वत् राशि देने हेतु राजतालाब चौकी जाने हेतु रवाना किया व मन् अति. पुलिस अधीक्षक दोनों गवाहान व ट्रेप पार्टी के सदस्य राजतालाब चौकी के आस-पास अपनी-2 उपस्थित छुपाते हुए मुकीम होकर परिवादी के निर्धारित ईशारे का इन्तजार करने लगें। समय 10.36 एएम पर परिवादी एक वर्दीधारी कानिस्टेबल के साथ उस कानि. की सरकारी मोटरसाईकिल पर चौकी से निकलते देखा तभी परिवादी ने रिश्वत् राशि दे देने का निर्धारित ईशारा किया जिस पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक मय कानि. माजिद खॉ व दोनों गवाहान के गवाह श्री लोकेन्द्र सिंह की निजी कार व कानि. महेश कुमार व नारायण लाल स.प्र.अ. मोटर साईकिल से परिवादी व आरोपी के पीछे-पीछे रवाना हुए। समय 10.50 एएम पर आरोपी परिवादी को मोटर साईकिल पर लेकर कोतवाली की गली में पहुंचा। जहां आगे सिवरेज लाईन का काम चलने के कारण आरोपी ने मोटर साईकिल को वापिस घुमाया तब परिवादी ने पुनः निर्धारित ईशारा किया जिस पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक व ट्रेप पार्टी सदस्यों ने आरोपी की मोटरसाईकिल को रूकवाया तथा परिवादी से डिजिटल वॉयस रिकार्डर लेकर बंद किया। परिवादी ने बताया कि यही जगपाल सिंह कानि. हैं तथा इन्होने मेरे से रिश्वत् राशि 8000/-रूपये लिये हैं। जो इन्होने पहनी हुई पेंट की दाहिनी जेब में रखे हैं। आरोपी का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम जगपाल सिंह पिता चन्द्रवीर सिंह जाति राजपूत उम्र 30 वर्ष निवासी अमरसिंह का गढा पुलिस थाना मोटागांव, जिला बांसवाडा हाल कानि. नं. 18 पुलिस चौकी राजतालाब व पुलिस थाना कोतवाली जिला बांसवाडा बताया। जगपाल सिंह को परिवादी की ओर ईशारा कर पूछा कि अभी-अभी आपने इससे रिश्वत् राशि मांग कर प्राप्त की हैं क्या? इस पर जगपाल सिंह घबरा गया तथा कहॉ कि मैने इससे कोई राशि नहीं ली। इस पर परिवादी श्री तोहीद खॉ ने बताया कि वह राजतालाब चौकी आरोपी के पास गया तब इसको रिश्वत् राशि 8000/- रूपये दिये जो इसने अपने दाहिने हाथ से लेकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब में रखे हैं। इस पर गवाह श्री लोकेन्द्र सिंह से आरोपी जगपाल सिंह के पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी की तलाशी लिवाई तो इसकी पेन्ट की दाहिनी जेब में पांच-पांच सौ के कुछ करेन्सी नोट मिले। इन नोटों का दोनों गवाहान से पूर्व में तैयार की गई फर्द पेशकशी नोट से किलान कराया तो दोनों गवाहान ने इन नोटों के नम्बर व फर्द पेशकशी नोट में अंकित नम्बर हुबहु होना बताया। उक्त रिश्वत् राशि 8000/- रूपये पांच-पांच सौ के 16 नोट को गवाह श्री लोकेन्द्र सिंह के पास सुरक्षित रखवाया। चूॅकि यहॉ पर काफी भीड इकठ्ठी हो गई हैं तथा आमजन की व यातायात की भारी आमद रफ्त हैं तथा सुरक्षा की दृष्टि से अग्रिम कार्यवाही हेतु यह स्थान उपयुक्त नहीं होने से आरोपी जगपाल सिंह के दाहिने व बाये हाथ क्रमशः कानि. की माजिद खॉ व श्री महेश कुमार से पकडवाये जाकर यथा स्थिति में आरोपी को गवाह लोकेन्द्र सिंह के निजी वाहन में बैठाया।

आरोपी के पास वायरलेस हेण्ड सेट व सरकारी मोटर साईकिल नम्बर आरजे03556848 हैं। उक्त हेण्ड सेट व सरकारी मोटर साईकिल को स.प्र.अ. श्री नारायण लाल को सुपुर्द कर ब्यूरो कार्यालय लाने की हिदायत दी। मन् अति. पुलिस अधीक्षक मय गवाह श्री लोकेन्द्र सिंह व कानि. माजिद खॉ व महेश कुमार कानि. के गवाह श्री लोकेन्द्र सिंह के वाहन से ब्यूरो कार्यालय रवाना हुए तथा गवाह श्री कमलेश कुमार को कानि. महेश कुमार की मोटरसाईकिल पर ब्यूरो कार्यालय आने की हिदायत की। समय 11.30 एएम पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान मय दोनों गवाहान मय कानि. माजिद खॉ व महेश कुमार के मय गवाह श्री लोकेन्द्र सिंह मय परिवादी व मय आरोपी श्री जगपाल सिंह को यथा स्थिति में लेकर ब्यूरो कार्यालय बांसवाडा उपस्थित आया। गवाह श्री कमलेश कुमार महेश कुमार की मोटरसाईकिल लेकर व स.प्र.अ. नारायण लाल आरोपी की सरकारी मोटरसाईकिल व हेण्ड सेट लेकर कार्यालय उपास्थित आये। सरकारी मोटर साईकिल व हेण्ड सेट को आईन्दा थाना कोतवाली को सुपुर्द किया जावेगा। अग्रिम ट्रेप कार्यवाही कार्यालय में प्रारम्भ करते हुए आरोपी जगपाल सिंह से परिवादी श्री तोहीद खॉ उर्फ राजा की ओर ईशारा करते हुए पूछा कि आपने इनसे रिश्वत् राशि किस कार्य के लिये ली हैं, तो आरोपी ने बताया कि मैने तोहीद को 20,000/—रूपये उधार दिये थे। जिसमें से बाकी राशि तो इससे पहले दे दी थी तथा 8000/--रूपये बाकी थे जो उसने मुझे कल शाम को आकर आज देने का कहा था तथा आज इसने चौकी पर आकर मुझे 8000/—रूपये उधार मांगते पेटे दिये थे। मेरे जिम्मे परिवादिया श्रीमती अन्जुम पत्नी समीर खान मुसलमान निवासी इन्दिरा कोलोनी बांसवाडा का परिवाद थाना अधिकारी कोतवाली ने दिनांक 05.03.2022 को जिम्मे किया था जो परिवाद तोहीद उर्फ राजा इस परिवादी के विरूद्ध था। इस परिवाद जांच में भी मैने तोहीद को चौकी आने का कहा था। इस पर उपस्थित परिवादी श्री तोहीद खॉ उर्फ राजा ने आरोपी श्री जगपाल सिंह के कथनों का पुरजोर विरोध करते हुए बताया कि श्री जगपाल सिंह उससे कोई रूपये नहीं मांगते हैं। मैने इनसे कभी कोई राशि उधार नहीं ली। श्रीमती अंजुम ने मेरे विरूद्ध रिपोर्ट की हैं उसकी जांच श्री जगपाल सिंह कर रहे हैं। इस जांच हेतु इन्होने कल सुबह मुझे राजतालाब चौकी बुलाया व मेरे विरूद्धकी रिपोर्ट में मेरी मदद करने व हल्की पाबन्द की ही कार्यवाही करने के लिए दस हजार रूपये रिश्वत् की मांग की थी। जिसकी मैने आपको रिपोर्ट दी तब रिश्वत् मांग सत्यापन में भी श्री जगपाल सिंह ने 8000/— रूपये मेरे विरूद्ध अंजुम की रिपोर्ट में मदद करने के लिये मांगे थे। आरोपी श्री जगपाल सिंह को इस बारे में पूछा तो कोई जवाब नहीं दिया तथा उधार रूपयों की लिखत के बारे में पूछा तो कोई लिखत नहीं होना बताया व गलती होना व माफ करने का कहा। आरोपी श्री जगपाल सिंह को इस रिश्वत् राशि में से किस--2 को यह राशि देना था का पूछा तो आरोपी श्री जगपाल सिंह ने बताया कि और किसी ने रिश्वत् का नहीं कहा था। सीआई साहब ने तो केवल पाबन्द कराने का कहा था। रिश्वत् राशि मांग बाबत् उनको कुछ पता नहीं हैं। तोहीद खॉ से उसने स्वयं के लिए ही रिश्वत् राशि की मांग की थी तथा स्वयं के लिए ही रिश्वत् राशि आज तोहीद खॉ से ली हैं। आरोपी श्री जगपाल सिंह व परिवादी के मध्य रिश्वत् राशि का लेन—देन होने व रिश्वत् राशि आरोपी की पेन्ट की दाहिनी जेब से मिलने तथा आरोपी द्वारा भी गलती होना मानने व उसके द्वारा रिश्वत् राशि ग्रहण करना स्वीकार करने से नियमानुसार हाथ धुलाई की कार्यवाही दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष प्रारम्भ करते हुए कानि. श्री माजिद खॉ से ट्रेप बॉक्स मंगवाकर ट्रेप बॉक्स में से दो नये साफ कांच के गिलासों में साफ पानी भरवा कर इनमें एक—एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। जिसे दोनों स्वतंत्र गवाहान व हाजरीन को दिखाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। उक्त अपरिवर्तित घोल वाले एक कांच के गिलास के घोल में आरोपी श्री जगपाल सिंह के दाहिने हाथ की अंगुलियो व अंगुठे को डूबोकर धुलवाई गई तो धोवन के घोल का रंग हल्का गंलाबी हुआ। जिसे हाजरीन ने भी स्वीकार किया। इस गुलाबी घोल को कांच की दो साफ शीशीयों में आधा—आधा भरवाकर शीशीयों के ढक्कन लगाकर मार्क आरएच—1 व आरएच--2 अंकित करा सीलबंद कर चिट व कपडे पर दोनों गवावहान परिवादी व आरोपी के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार आरोपी श्री जगपाल सिंह के बाये हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को दूसरे कांच के गिलास के घोल में डूंबोकर धुलवाई गई तो धोवन के घोल का रंग मटमेला हुआ। जिसे हाजरीन ने भी स्वीकार किया। इस मटमेले घोल को कांच की दो साफ शीशीयों में आधा—आधा भरवाकर दोनों शीशीयों पर ढक्कन लगवाकर मार्क एलएच—1 व एलएच—2 अंकित करा सील बंद कर चिट व कपडे पर दोनों गवाहान व संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके बाद मन् अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान श्री लोकेन्द्र सिंह के पास सुरक्षित रखी राशि प्राप्त कर उक्त बरामदशुदा रिश्वत् राशि के नोटों पर सफेद कागज लगाकर सील चिट कर चिट पर दोनों गवाहों, परिवादी व आरोपी के हस्ताक्षर कराकर रिश्वत् राशि कब्जे ब्यूरो ली गई। आरोपी को परिवादी के विरूद्ध श्रीमती अंजुम द्वारा की गई रिपोर्ट बाबत् पूछा तो परिवादी ने अपने पहने हुए वर्दी के कमीज के अन्दर रखी रिपोर्ट निकाल कर पेश की। यह रिपोर्ट श्रीमती अंजुम पत्नी समीर खॉ मुसलमान निवासी इन्दिरा कोलोनी बांसवाडा ने दिनांक 03.03.2022 को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बांसवाडा के नाम लिख कर पेश की जो रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक बांसवाडा ने विधिवत कार्यवाही हेतु थानाधिकारी कोतवाली बांसवाडा को अग्रेशित की। थाना कोतवाली में परिवाद पार्ट द्वितीय पर आर—98 दिनांक 05.03.2022 को इन्द्राज कर थानाधिकारी कोतवाली ने श्री जगपाल सिंह कानि. को पाबन्द करवाने हेतु जिम्मे की। इस श्रीमती अंजुम के परिवाद की छायाप्रति करवाकर गवाहान परिवादी, आरोपी व संबंधितों के हस्तदस्त करवाकर कब्जे ब्यूरो ली गई। मूल रिपोर्ट चौकी प्रभारी राजतालाब को अग्रिम कार्यवाही हेतु लौटाई जावेगा। चूंकि रिश्वत् राशि आरोपी श्री जगपाल सिंह के पहनी पेन्ट(वर्दीकी) की दाहिनी जेब से बरामद हुई हैं। अतः इस जेब का धोवन लेना आवश्यक हैं। अतः आरोपी श्री जगपाल सिंह के पहनने के लिए टीशर्ट व लोवर मंगवाकर सम्मानजनक रूप से पेन्ट व शर्ट उतरवाकर लोवर व टीशर्ट पहनाया तथा एक नया साफ कांच का गिलास ट्रेप बॉक्स से कानि. श्री माजिद खॉ से निकलवाकर गिलास में साफ पानी भरवाकर गिलास में भरे पानी में एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डाल

hl

कर घोल तैयार किया। घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। दोनों गवाहानों व हाजरीन ने भी गिलास में घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। फिर इस आपरिवर्तित घोल में आरोपी जगपाल सिंह के पहनी वर्दी की पेन्ट की दाहिनी जेब को डूबोया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। दोनों गवाहान व हाजरीन ने भी घोल का रंग गुलाबली होना स्वीकार किया। तत्पश्चात् ट्रेप बॉक्स से दो कांच की शीशीयॉ निकलवाकर उनमें गिलास में भरा गुलाबी घोल आधा–2 भरकर दोनों शीशीयॉ सील बंद कर चिट व कपडे पर दोनों गवाहान व संबंधितों के हस्ताक्षर करायें। पेन्ट की जेब को सुखाकर पेन्ट को सफेद कपडे की थैली में डालकर सील बंद कर थैली पर चिट चस्पा कर दोनों गवाहान व संबंधितों के हस्ताक्षर कराये गये। उक्त प्रादर्श को कब्जे ब्यूरो लिया। आरोपी श्री जगपाल सिंह के पास दो मोबाईल मिले जिनकी कॉल हिस्ट्री व वॉट्सअप चेट चैक की तो कोई संदिग्ध कॉल या चिट नहीं मिला। मोबाईल को जामा तलाशी में लिया जावेगा। समय 1.30 पीएम पर परिवादी व आरोपी श्री जगपाल सिंह के मध्य दिनांक 07.03.2022 को हुई रिश्वत् मांग सत्यापन वार्ता जो ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकार्डर में परिवादी द्वारा रिकार्ड किया गया था। उक्त डिजिटल टेप रिकार्डर को कम्प्युटर से कनेक्ट कर दोनों स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के समक्ष रिकार्ड शुदा वार्ता को सुना गया तो आरोपी जगपाल सिंह द्वारा रिश्वत् मांग की वार्ता की पुष्टि होना पाया गया। गवाहान व परिवादी के समक्ष रिकार्डशुदा वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट स.प्र.अ. श्री नारायण लाल से मुर्तिब कराई जाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट पर दोनों गवाहान परिवादी व संबंधितों के हस्ताक्षर कराये गये। डिजिटल टेप रिकार्डर को कम्प्युटर से कनेक्ट कर उक्त वार्ता की मूल व डब सीडियॉ स.प्र.अ. श्री नारायण लाल से तैयार कराई जाकर सीडियों पर दोनों गवाहान व संबंधितों के हस्ताक्षर कराये जाकर मूल व डब सीडियों को पृथक –2 सीडी कवर में रखा जाकर मूल सीडी को कवर सहित कपडे की थैली में डालकर थैली का मुॅह सीकर सीलबंद कर चिट चस्पा कर कब्जे ब्यूरो लिया। समय 02.30 पीएम पर परिवादी द्वारा पेश किये गये ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकार्डर जिसमें रिश्वत् राशि लेनदेन के संबंध में परिवादी व आरोपी के मध्य हुई वार्ता को परिवादी द्वारा रिकार्ड कियागया था। उक्त डिजिटल टेप रिकार्डर को कम्प्युटर से कनेक्ट कर दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष रिकार्ड शुदा वार्ता को सुना गया तो आरोपी द्वारा रिश्वत् मांग कर लेने की वार्ता होने की पुष्टि होना पाया गया। रिकार्ड शुदा वार्ता की गवाहान व संबंधितों के समक्ष फर्द ट्रांसक्रिप्ट स.प्र.अ. श्री नारायण लाल से मुर्तिब कराई जाकर दोनों गवाहान, आरोपी व परिवादी के हस्ताक्षर कराये गये। परिवादी व आरोपी के मध्य हुई रिश्वत् लेनदेन वार्ता को परिवादी व आरोपी को चलाकर सुनाई तो दोनों ने वार्ता में अपनी–2 आवाज होना स्वीकार किया। डिजिटल टेप रिकार्डर को कम्प्युटर से कनेक्ट कर उक्त वार्ता की मूल व डब सीडियॉ तैयार की गई। मूल व डब सीडी पर दोनों गवाहों व संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर मूल व डब सीडियों को पृथक–2 सीडी कवर में रखा जाकर मूल सीडी को कवर सहित कपडे की थैली में रख कर थैली का मुॅह सीकर सीलबंद कर चिट चस्पा कर कब्जे ब्यूरो लिया गया। डब सीडी को सुरक्षित रखा गया। इसके उपरान्त डिजिटल टेप को सुरक्षित ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया। जप्तशुदा आर्टीकल को कानि. माजिद खॉ को सुपुर्द कर जमा मालखाना कराया। समय 03.30 पीएम पर आरोपी श्री जगपाल सिंह कानि. नं. 18 पुलिस चौकी राजतालाब थाना कोतवाली बांसवाडा के विरूद्ध जुर्म धारा 7 संशोधित पीसी एक्ट (2018) प्रामाणित होने से आरोपी श्री जगपाल सिंह को उसके द्वारा किये गये जुर्म व संवैधानिक अधिकारों से आगाह कर जरिये फर्द गिरफतार किया गया। फर्द गिरफतारी अलग से मुर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर कराये। गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के बताये अनुसार उसके साला श्री योगेन्द्र सिंह शक्तावत जो उपस्थित आये है को दी गई। परिवादी के दोनों मोबाईल इसका वर्दी का शर्ट, जूते व बेल्ट उसके साला श्री योगेन्द्र सिंह शक्तावत को सुपुर्द किये। समय 03.50 पीएम पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी श्री जगपाल सिंह को अपनी आवाज का नमूना देने हेतु पंत्रांक 358 दिनांक 08.03.2022 दिया गया तो आरोपी द्वारा उक्त मूल पत्र पर ही अपनी आवाज का नमूना नहीं देने बाबत् अपना प्रतिउत्तर लिखित में पेश किया जो शामील ट्रेप कार्यवाही कागजात किया। समय 04.00 पीएम पर श्री सरदार सिंह स.उ.नि. चौकी राजतालाब थाना बांसवाडा उपस्थित आये। जिन्होने थाना कोतवाली के परिवाद रजिस्टर के पार्ट द्वितीय की प्रमाणित प्रति पेश की जो शामील ट्रेप कार्यवाही कागजात की। श्री सरदार सिंह को श्रीमती अंजुम द्वारा प्रस्तुत मूल परिवाद अग्रिम कानूनी कार्यवाही इस परिवाद में वांछित होने से सुपुर्द किया। समय 4.15 पीएम पर कोतवाली बांसवाडा से कानि. श्री राहुल डोडियार नं. 356 उपस्थित आये है इसे आरोपी श्री जगपाल सिंह के पास की सरकारी मोटर साईकिल नं. आरजे–03–एसएस–6848 व हेण्ड सुपुर्द किया। समय 04.30 पीएम मन् अति.पुलिस अधीक्षक मय कानि. माजिद खॉ व महेश कुमार व दोनों गवाहान मय आरोपी श्री जगपाल सिंह के जरिये सरकारी वाहन मय श्री जितेन्द्र सिंह कानि. ड्रा. के घटना स्थल निरीक्षण रवाना हुआ। परिवादी को भी घटना स्थल चौकी राजतालाब पर उपस्थित आने की हिदायत दी। समय 04.40 पीएम पर मन् अति.पुलिस अधीक्षक मय हमरायान मय आरोपी जगपाल सिंह के घटना स्थल चौकी राजतालाब पहुंचा व परिवादी श्री तोहीद खॉ व आरोपी श्री जगपाल सिंह की निशादेही से दोनों गवाहान के समक्ष घटना स्थल का निरीक्षण कर फर्द नक्शा मौका पृथक से तैयार कर शामील ट्रेप कार्यवाही कागजात किया। समय 05.05 पीएम पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक मय हमरायान मय आरोपी के परिवादी श्री तोहीद खॉ व स्वतंत्र गवाहान को हमरा लेकर कोतवाली बांसवाडा की गली को रवाना हुआ। समय 05.15 पीएम पर मन् अति.पुलिस अधीक्षक मय हमरायान मय स्वतंत्र गवाहान मय आरोपी व परिवादी के कोतवाली वाली गली में पहुंचा व परिवादी व आरोपी की निशादेही पर स्वतंत्र गवाहान के रूबरू घटन स्थल का निरीक्षण कर फर्द नक्शा मौका पृथक से मुर्तिब कर शामील पत्रावली किया। समय 05.45 पीएम पर परिवादी श्री तोहीद खां को रूखसत कर रवाना किया आरोपी श्री जगपाल सिंह से पूछा तो बताया कि वह पुलिस थाना सदर बांसवाडा में बने सरकारी आवास में रहता है। आरोपी के आवास की खाना तलाशी लेना आवश्यक है अतः मन एएसपी मय स्वतंत्र गवाहान् मय हमरायान मय आरोपी जगपाल सिंह के रवाना पुलिस थाना सदर बांसवाडा को हुआ। समय 06.05 पीएम पर मन अति.पुलिस

अधीक्षक मय हमरायान मय स्वतंत्र गवाहान् मय आरोपी श्री जगपाल सिंह के पुलिस थाना सदर स्थित आरोपी के आवास पर पहुंचा। स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी श्री जगपाल सिंह की मौजूदगी में नियमानुसार इसके आवास की खाना तलाशी ली गई। फर्द खाना तलाशी पृथक से मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की। समय 07.00 पीएम पर मन् अति.पुलिस अधीक्षक मय हमरायान के मय गवाहान् व आरोपी के ब्यूरो कार्यालय को रवाना हुआ। समय 07.20 पीएम पर मन् अति.पुलिस अधीक्षक मय हमरायान मय गवाहान के मय आरोपी श्री जगपाल सिंह के ब्यूरो कार्यालय पहुंचा। दोनो स्वतंत्र गवाहान को रूखसत किया। समय 08.15 पीएम पर आरोपी श्री जगपाल सिंह का स्वास्थ्य परिक्षण कराने एम.ओ. साहब के नाम तेहरीर देकर कानि. श्री माजिद खां व महेश कुमार को जरिये सरकारी वाहन ड्राईवर जितेन्द्र सिंह के एमओ साहब के निवास रवाना किया। समय 08.55 पीएम पर कानि. श्री मांजिद खां , महेश कुमार ड्राईवर श्री जितेन्द्र सिंह मय आरोपी श्री जगपाल सिंह के आरोपी का स्वास्थ्य परिक्षण कराकर उपस्थित आये। स्वास्थ्य परिक्षण रिपोर्ट शामिल ट्रेप कार्यवाही पत्रावली की। समय 09.30 पीएम पर आरोपी श्री जगपाल सिंह को खाना खिलाकर इससे पूछताछ प्रारम्भ की। दिनांक 09.03.2022 समय 04.30 एएम तक आरोपी श्री जगपाल सिंह से गहनता से पूछताछ हो रही तो इसने फर्द बरामदगी के समय बताये अपने स्पष्टीकरण को ही दौहराया और कोई नये तथ्य नहीं बताये हैं। रात्री में आरोपी को कार्यालय में कारागृह की व्यवस्था नही होने से आरोपी श्री जगपाल सिंह को रात्रि में थाना कोतवाली बांसवाडा में सुरक्षा हेतु बंदीगृह में जमा करने हेतु थाना अधिकारी कोतवाली बांसवाडा के नाम तेहरीर लिखी जाकर कानि. श्री मांजिद खां को सुपुर्द कर कानि. श्री मांजिद खां व महेश कुमार को जरिये सरकारी वाहन ड्राईवर जितेन्द्र सिंह के रवाना कोतवाली बांसवाडा किया। समय 06.00 एएम पर कानि. मांजिद खां व महेश कुमार जरिये सरकारी वाहन ड्राईवर जितेन्द्र सिंह के आरोपी श्री जगपाल सिंह को कोतवाली बांसवाडा में जमा कराकर तेहरीर की प्राप्ति व रोजनामचाआम की नकल लेकर आये हैं। तेहरीर की प्राप्ति व नकल रोजनामचाआम शामिल ट्रेप कार्यवाही पत्रावली की।

प्रकरण में आज दिनांक 09.03.2022 को आरोपी श्री जगपालसिंह कानि–18 पुलिस चौकी राजतलाब, थाना कोतवाली जिला बांसवाडा को सुरक्षा की दृष्टि से बंद हवालात पुलिस थाना कोतवाली जिला बांसवाडा से प्राप्त किया जाकर आरोपी पटवारी का राजकीय महात्मा गांधी चिकित्सालय बांसवाडा से कोरोना टेस्ट कराया जाकर माननीय न्यायालय के समक्ष दरख्वास्त मोहलत के साथ न्यायिक अभिरक्षा भेजने हेतु पेश किया जाकर माननीय न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

प्रकरण में परिवादी द्वारा पेश लिखित रिपोर्ट, फर्द ट्रांसक्रिप्शन रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, फर्द पेशकशी एवं सुपूर्दगी नोट एवं दृष्टान्त फिनॉफ्थेलीन पाउडर, फर्द बरामदगी रिश्वत राशि एवं हाथ धुलाई, फर्द नक्शा मौका घटनास्थल रिश्वत राशि ग्रहण, फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत लेन–देन तथा प्रकरण की समस्त परिस्थितियों से पाया गया कि आरोपी श्री जगपालसिंह कानि–18 पुलिस चौकी राजतलाब, थाना कोतवाली जिला बांसवाडा द्वारा परिवादी श्री तोहीद खॉ उर्फ राजा से उसके विरूद्व पुलिस चौकी राजतलाब, थाना कोतवाली जिला बांसवाडा दर्ज परिवाद की जांच में कार्यवाही नहीं करने के एवज में 10 हजार रूपये रिश्वत की मांग करना, जिस पर दिनांक 07.03.2022 को रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान परिवादी के हाथा–जोडी करने पर आरोपी द्वारा 8 हजार रूपये रिश्वत की मांगने की पुष्टि होने पर दिनांक 08.03.2022 को आरोपी श्री जगपालसिंह कानि0 को परिवादी श्री तोहीद खॉ से रिश्वत राशि 8 हजार रूपये लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया हैं। आरोपी श्री जगपालसिंह कानि–18 पुलिस चौकी राजतलाब, थाना कोतवाली जिला बांसवाडा के विरूद्व जुर्म अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) एक्ट, 2018 का अपराध प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित है।

अतः आरोपी श्री जगपालसिंह पुत्र स्व. श्री चन्द्रवीरसिंह चौहान जाति राजपुत उम्र 30 वर्ष निवासी गांव अमरसिंह का गडा, थाना मोटागांव जिला बांसवाडा हाल कानि–18 पुलिस चौकी राजतलाब, थाना कोतवाली जिला बांसवाडा के विरूद्व जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कमांकन हेतु श्रीमान् महानिदेशक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवामें प्रेषित हैं।

भवदीय,

(गाधोसिंह)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,
भ्रनिब्यूरो, बांसवाडा

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री माधोसिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बांसवाड़ा ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री जगपालसिंह चौहान, कानि. नम्बर 18, पुलिस चौकी राजतलाब, पुलिस थाना कोतवाली, जिला बांसवाड़ा के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 80/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

9.3.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांकः- 718-22 दिनांक 9.3.2022

प्रतिलिपिः- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, बांसवाड़ा।
4. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बांसवाड़ा।

9.3.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।